यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई0, कोटद्वार** द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई0, कोटद्वार** के माह 12/2016 से 03/2018 तक के लेखा–अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री एस0एस0 राणा, श्री देवेन्द्र दिवाकर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं श्री पवन कुमार, लेखापरीक्षक द्वारा दिनॉक 10.05.2018 से 22.05.2018 तक श्री आई0के0 जुयाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग–I

1. **परिचयात्मकः–** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री भानुप्रताप सिंह, श्री अजय कुमार सचान, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं श्री गौरव पन्त, लेखापरीक्षक द्वारा दिनॉक 27.12.2016 से 06.01.2017 तक श्री आई0के0 जुयाल, वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गई थी, जिसमें माह 07/2015 से 11/2016 तक के लेखा–अभिलेखों की जॉच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 12/2016 से 03/2018 तक के लेखा–अभिलेखों की जॉच की गयी।
2. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**

   इकाई के अन्तर्गत पी0एम0जी0एस0वाई0 योजना के अनुरुप 250 से अधिक जनसंख्या वाले असंयोजित बसावटों के संयोजन हेतु कोर नेटवर्क के अनुरुप प्रस्ताव प्रेषित कर स्वीकृति के अनुरुप मोटर मार्ग निर्माण से सम्बन्धित समस्त कार्य सम्पादित किए जाते हैं। इकाई का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र जनपद पौडी गढवाल के चार विकास खण्डों क्रमशः द्वारीखाल, यमकेश्वर, रिखणीखाल एवं दुगड्डा हैं, जिनमें ग्रामीण मोटर मार्गों का निर्माण एवं अनुरक्षण किया जाता है।

   (ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(` लाख मे)

वर्ष	प्रारम्भिक अवषेष		स्थापना		गैर स्थापना		स्थापना		गैर स्थापना	
	स्थापना	गैर स्थापना	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	आधिक्य (+)	बचत (-)
2015–16	–	–	2816.42	2483.37	227.40	221.12	–	333.05	–	6.28
2016–17	–	–	1765.40	1436.52	266.02	232.03	–	328.88	–	33.99
2017–18	–	–	2945.56	1517.66	274.62	270.51	–	1427.90	–	4.11

नोट :– बचत की धनराशि यू0आर0आर0डी0ए0 को समर्पित की गई।

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत् है:

(` लाख मे)

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रारम्भिक अवशेष**	**प्राप्त**	**व्यय**	**आधिक्य (+)**	**बचत (-)**
2015–16	पी0एम0जी0एस0वाई0	–	2596.10	2270.67	–	325.43
2016–17		–	1608.00	1336.64	–	271.36
2017–18		–	2790.02	1408.54	–	1381.48

नोट :– बचत की धनराशि यू0आर0आर0डी0ए0 को समर्पित की गई।

(iii) इकाई को बजट आबंटन प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत अनुदान संख्या 019 लेखाशीर्षक 2515 के अन्तर्गत ग्राम्य विकास विभाग द्वारा प्राप्त होता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई ए श्रेणी की है। इकाई का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् है:

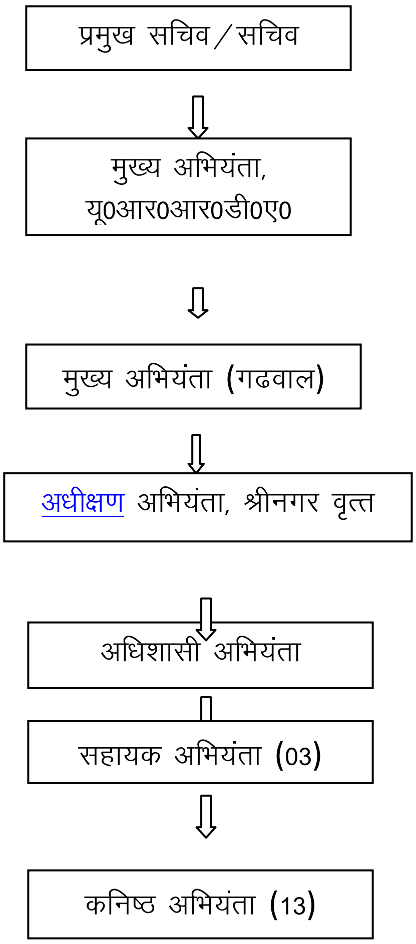

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में कार्यालय अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई0, कोटद्वार को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक–पृथक जारी किए जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई0, कोटद्वार** की लेखापरीक्षा में पाए गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह मार्च 2018 को विस्तृत जॉच हेतु चयनित किया गया। इकाई में संचालित निर्माण कार्यों में से 14 निर्माण कार्यों (पूर्ण–11 एवं अपूर्ण–02 एवं अनारम्भ–01) का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन माह 03/2018 तक की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गये नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी0पी0सी0 एक्ट 1971) की धारा 14 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गई।

3. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में दिनॉक 16.04.2018 तक का निरीक्षण किया गया।

4. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्ववार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र–संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी सितम्बर 2017 तक की गई।

5. फार्म 51 माह 03/2018 तक महालेखाकार लेखा एवं हकदारी उत्तराखण्ड को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत् हैः–

   भाग प्रथम : शून्य

   भाग द्वितीय : ` 5,12,711.00

6. खण्ड के उचंत लेखों के अवशेष के माह 03/2018 के अन्त में : शून्य

7. विगत लेखापरीक्षा से अब तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से सम्बद्व रहे।

   1. श्री आर0एस0 नेगी, दिनॉक 20.02.2016 से वर्तमान तक

भाग–II 'अ'

प्रस्तर–1: प्राविधिक स्वीकृति से पूर्व अनुबन्ध गठित किए जाने के परिणामस्वरुप ` 123.65 लाख का अधिक भुगतान।

भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्टेज–।। के 06 मोटर मार्गो क्रमशः विरमाली से सुराडी,, कण्डलसेरा से क्वीराली तल्ली, रिंगालपानी से गूम, जाखणीखाल से अमोला, रिंगालपानी से जसपुर एवं नौडखाल से मालाकोट लम्बाई 82.53 किमी0 के निर्माण हेतु फेस–VIII एवं X में ` 2951.15 लाख[1] (निर्माण : ` 2612.62 लाख एवं अनुरक्षण : ` 338.53 लाख) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी (10.09.2010 एवं 08.02.2013)। जिसके सापेक्ष सक्षम प्राधिकारी द्वारा ` 2844.30 लाख[2] (निर्माण : ` 2508.43 लाख एवं अनुरक्षण : ` 335.87 लाख) की प्राविधिक स्वीकृति प्रदान की गई (10.06.2011 एवं 13.05.2013)। मोटर मार्गो का विस्तृत विवरण **संलग्नक–क** में दिया गया है।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई0, कोटद्वार के उक्त 06 मोटर मार्गो से सम्बन्धित लेखा–अभिलेखों की विस्तृत लेखापरीक्षा जॉच में पाया गया कि मोटर मार्गों में निविदाऐं तकनीकी स्वीकृति से पूर्व ही आमंत्रित एवं खोली गई थी (संलग्नक–क), जबकि पी0एम0जी0एस0वाई0 दिशा–निर्देशों के प्रस्तर 11.1 के अनुसार मार्ग के प्रस्ताव की स्वीकृति एवं प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त किए जाने के पश्चात ही निविदा आमंत्रित की जानी चाहिए थी। यहॉ तक कि मोटर मार्गों में प्राविधिक स्वीकृति से पूर्व ही निविदाओं को स्वीकार कर ठेकेदारों के साथ अनुबन्ध भी गठित कर लिए गये थे। जिसका परिणाम यह हुआ कि प्राविधिक स्वीकृति में जो दरें सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित एवं स्वीकृत की गई थी उन दरों से अधिक दरों पर ठेकेदार को भुगतान किया गया। अधिक भुगतान की गई मदों का विस्तृत विवरण निम्नवत् हैः–

(धनराशि रुपये में)

क्र0	मद का नाम	निविदा की दर	अनुबन्धित दर (Above/ Below) सहित)	प्राविधिक स्वीकृति की दर	प्राविधिक स्वीकृति (Above/ Below) सहित)	दर में अन्तर (4-6)	सम्पादित मात्रा	अधिक भुगतान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	**विरमोली से सुराडी मोटर मार्ग (फेज–VIII) (10% below) NIT: 1.10.2010 & TS : 10.06.2011**							
1.	Excavation for structures	104.00	93.60	103.50	93.15	0.45	1615.27	726.87
2.	RR stone masonary	652.00	586.80	634.40	570.96	15.84	3081.20	48806.21

[1] विरमाली से सुराडी : ` 633.11 लाख, कण्डलसेरा से क्वीराली तल्ली : ` 638.39 लाख, रिंगालपानी से गूम : ` 547.90 लाख, जाखणीखाल से अमोला : ` 512.16 लाख एवं रिंगालपानी से जसपुर : ` 280.95 लाख एवं नौडखाल से मालाकोट : ` 338.64 लाख

[2] विरमाली से सुराडी : ` 598.08 लाख, कण्डलसेरा से क्वीराली तल्ली : ` 638.39, रिंगालपानी से गूम : ` 547.90 लाख, जाखणीखाल से अमोला : ` 475.39 लाख, लाख एवं एवं रिंगालपानी से जसपुर : ` 245.90 लाख एवं नौडखाल से मालाकोट : ` 338.64 लाख

	laid dry							
3.	Catch pit	10350.00	9315.00	10344.70	9310.23	4.77	44.00	209.88
4.	Coolie Walling	335.00	315.00	333.70	300.33	14.67	1874.92	27505.08
5.	GSB	755.00	679.50	257.00	231.30	448.20	6648.43	2979826.33
6.	Tack Coat	12.00	10.80	10.10	9.09	1.71	56328.00	96320.88
7.	Parapet	1730.00	1557.00	1688.00	1519.20	37.80	638.00	24116.40
	Total:							**3177511.65**
2.	**कण्डलसेरा द्वारी से क्वारली तल्ली मोटर मार्ग (फेज–X) NIT: 30.01.2013 & TS : 10.05.2013**							
	Earth Work in hill road							
1.	Earth & Boulder	111.00		106.30		4.70	1453.09	6829.52
	Hard Rock	291.20		275.30		15.90	205.01	3259.66
2.	Super elevation & pattri filling	61.20		57.60		3.60	8585.42	30907.51
3.	GSB	1350.00		1238.30		111.70	12946.41	1446114.00
4.	Tack Coat	15.00		12.90		2.10	43155.40	90626.34
5.	Premix Carpet	200.00		156.00		44.00	43155.40	1898837.60
	Total :							**3476574.63**
3.	**रिंगालपानी से गूम मोटर मार्ग (फेज–X) NIT: 16.01.2013 & TS : 10.05.2013**							
1.	Excavation for structures	166.10		124.20		41.90	2637.59	110515.02
2.	RR stone masonry	2043.00		1790.40		252.60	1244.24	314295.02
3.	RR stone masonry laid dry	850.00		728.10		121.90	2721.06	331697.21
4.	Scupper with catch pit	12000.00		9812.00		2188.00	108.85	238163.80
5.	Causeway	166.10		124.20		41.90	164.41	6888.78
6.	PCC for Causeway	3900.00		3889.50		10.50	58.25	611.63
7.	MS bar	6500.00		5470.69		1029.31	9.06	9325.55
8.	Causeway	850.00		728.10		121.90	61.12	7450.53
9.	Primer Coat	41.00		37.10		3.90	36662.51	142983.79

10.	Tack Coat	12.75		11.00		1.75	36662.51	64159.39
11.	Premix Carpet	190.00		135.10		54.90	36662.51	2012771.80
12	Seal Coat	75.00		65.70		9.30	36662.51	340961.34
	Total:							**3579823.86**
4.	**जाखणीखाल से अमोला मोटर मार्ग (फेज–VIII) (20% below) NIT: 01.10.2010 & TS : 10.06.2011**							
1.	Primer Coat	45.00	36.00	27.60	22.08	13.92	57653.26	802533.38
	Total :							**802533.38**
5.	**रिंगालपानी से जसपुर (फेज–VIII) (15% below) NIT: 01.10.2010 & TS : 10.06.2011**							
1.	Scrupper	13000.00	11050.00	12989.00	11040.65	9.35	82.40	770.44
2.	WBM G2	1100.00	935.00	1011.00	859.35	75.65	2435.57	184250.87
3.	WBM G3	1100.00	935.00	1050.00	892.50	42.50	1811.65	76995.13
4.	Primer Coat	40.00	34.00	27.70	23.55	10.45	24216.00	253057.20
5.	Tack Coat	11.00	9.35	10.10	8.59	0.76	24216.00	18404.16
6.	Parapet	1850.00	1572.50	942.00	800.70	771.80	639.00	493180.20
	Total :							**1026658.00**
6.	**नौडखाल से मालाकोट मोटर मार्ग (फेज–X) NIT: 30.01.2013 & TS : 13.05.2013**							
1.	Premix Carpet	160.00		145.20		14.80	20410.96	302082.21
	Total :							**302082.21**
	Grand Total:							**12365183.73**

इस प्रकार, प्राविधिक स्वीकृति से पूर्व निविदाओं के आमंत्रित करने एवं अनुबन्ध गठित किए जाने के परिणामस्वरुप ` 123.65 लाख का अधिक भुगतान किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर अधिशासी अभियंता ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर में बताया कि पी0एम0जी0एस0वाई0 योजना में मोटर मार्गों के निर्माण हेतु समय–सीमा निर्धारित होती है। निविदा प्रक्रिया में लगने वाले समय से बचने के लिए निविदाऐं मुख्य अभियंता स्तर से आमंत्रित की गई, ताकि निर्माण कार्य समय पर पूर्ण हो सके। अधिक भुगतान किए जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया कि पूर्व में आमंत्रित निविदाओं में कुछ मदों में दरें प्राविधिक स्वीकृति की दरों से अधिक थी, जिसकी स्वीकृति निविदा समिति द्वारा अनुमोदित थी। प्राविधिक स्वीकृति में कम दर होने के बावजूद निविदा में स्वीकृत दरों के आधार ठेकेदार को भुगतान किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के दिशा–निर्देशों के पैरा 11.1 के अनुसार परियोजना प्रस्तावों की स्वीकृति और उनकी प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर लेने के बाद

ही निविदाऐं आमंत्रित की जानी चाहिए थी एवं प्राविधिक स्वीकृति में निर्धारित दरों पर ही भुगतान किया जाना चाहिए था।

अतः प्राविधिक स्वीकृति से पूर्व अनुबन्ध गठित किए जाने के परिणामस्वरुप ` 123.65 लाख के अधिक भुगतान का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–II 'अ'

प्रस्तर–2: निर्धारित दर अनुसूची के विपरीत उच्च दर पर भुगतान किए जाने के परिणास्वरुप ठेकेदार को ` 131.81 लाख का अतिरिक्त भुगतान।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा–निर्देशिका के पैरा 8.9 एवं 8.10 के प्रावधानों के अनुसार योजना के अन्तर्गत निर्मित होने वाली सड़कों के विस्तृत आगणन राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण सड़कों के लिए वार्षिक आधार पर निर्धारित राज्य दर अनुसूची पर आधारित होना चाहिए। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत फेस–X में कण्डलसेरा द्वारी से क्यूराली तल्ली मोटर मार्गों के निर्माण हेतु ` 638.39 लाख (निर्माण : ` 559.92 लाख एवं अनुरक्षण : ` 78.47 लाख) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी (08.02.2013)। जिसके सापेक्ष सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्पूर्ण स्वीकृत धनराशि की प्राविधिक स्वीकृति प्रदान की गई (10.05.2013)।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, पी0एम0 जी0एस0वाई0, कोटद्वार के कण्डलसेरा द्वारी से क्यूराली तल्ली मोटर मार्ग से सम्बन्धित लेखा–अभिलेखों की विस्तृत जॉच में पाया गया कि मोटर मार्ग के स्वीकृत आगणन, प्राविधिक स्वीकृति, अनुबन्धित मदों एवं अन्तिम देयकों के अनुसार मार्ग की आधार सतह का प्रावधान मोर्ड (MORD) आई0आर0सी0 के क्लॉज 401.40 (तालिका 400.13) के अनुसार स्थानीय जी0एस0बी0 (Granular Sub-base sourse with local material) सामग्री के साथ किया गया था, परन्तु प्राविधिक स्वीकृति हेतु तैयार किए गये विस्तृत आगणन, अनुबन्ध एवं भुगतान में जी0एस0बी0 के साथ आधार सतह के कार्य मद में जो दर ली गई वह दर अनुसूची के अनुसार स्थानीय जी0एस0बी0 हेतु निर्धारित दर से उच्च दर की थी। खण्ड द्वारा विस्तृत आगणन एवं अनुबन्ध में कार्य मद जी0एस0बी0 स्थानीय सामग्री (GSB sourse with local material) ली गई जिसकी दर दर अनुसूची में ` 331.90 प्रति क्यूबिक मीटर निर्धारित थी, परन्तु जो दर विस्तृत आगणन एवं अनुबन्ध में ली गई थी वह उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री (GSB by providing well graded material) की थी जिसकी दर ` 1238.30 प्रति क्यूबिक मीटर ली गई। जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत् हैः–

कार्य का नाम	प्राविधिक स्वीकृति के अनुसार		एस0ओ0आर के अनुसार		अनुबन्धित /देयक की दर	अनुबन्ध/देयक के अनुसार आधिक्य (6-5)	सम्पादित मात्रा (cum)	अधिक भुगतान (7 x 8)
	कार्य मद	दर	कार्य मद	दर				

(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	(6)	(7)	(8)	(9)
कण्डलसेरा द्वारी से क्यूराली तल्ली	GSB sourse with local material	1238.30	GSB sourse with local material	331.90	1350.00	1018.10	12946.41	13180740.02
योगः—								**13180740.02**

इस प्रकार, स्थानीय जी0एस0बी0 कार्य मद हेतु निर्धारित दर के विपरीत उच्च दर से भुगतान किए जाने के परिणामस्वरुप मोटर मार्ग पर ` 131.81 लाख का अतिरिक्त भुगतान कर ठेकेदार को अदेय लाभ पहुॅचाया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर अधिशासी अभियंता ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर में बताया कि प्राविधिक स्वीकृति से पूर्व निविदा होने एवं निविदा में स्वीकृत दरों के आधार पर ठेकेदारों को भुगतान किया गया। उच्च दर पर भुगतान किए जाने के सम्बन्ध में बताया कि निविदा प्राविधिक स्वीकृति हेतु प्रेषित आगणन से पूर्व की गई थी, जिसके कारण दरों में भिन्नता आयी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विस्तृत आगणन, अनुबन्ध एवं अन्तिम देयक में जी0एस0बी0 के साथ आधार सतह की कार्य मद स्थानीय जी0एस0बी0 प्रावधानित की गई थी जबकि जिस दर को प्राविधिक स्वीकृति एवं अन्तिम देयक से भुगतान किया गया वह उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री की दर थी।

अतः निर्धारित दर अनुसूची के विपरीत उच्च दर पर भुगतान किए जाने के परिणास्वरुप ठेकेदार को ` 131.81 लाख के अतिरिक्त भुगतान का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग–II (ब)</u>

प्रस्तर–1 आई0आर0सी0 विशिष्टियों के विपरीत पेवमेंट की अधिक मोटाई सम्पादित किए जाने के कारण ` 123.39 लाख का अपरिहार्य व्यय।

आई0आर0सी0 विशिष्टियॉ एस0पी0–72–2007 के अनुसार पेवमेंट की मोटाई Equivalent Single Axle Load (ESAL) और सब–ग्रेड की मजबूती हेतु California Bearing Ration (CBR) के अनुरुप सम्भावित बाणिज्यिक वाहनों की संख्या के आधार पर डिजाइन किया जाना चाहिए, जिससे कि ग्रेवल वेस (GSB/WBM) की मोटाई का आंकलन किया जा सके। विशिष्टियों के अनुसार यदि सी0बी0आर0 की श्रेणी टी–3 अर्थात 7–9 एवं ई0एस0ए0एल0 60000–100000 हो तो ग्रेवल वेस की कुल मोटाई 225 मिमी0 होनी चाहिए। इसीप्रकार, यदि सी0बी0आर0 की श्रेणी टी–4 अर्थात श्रेणी 7–9 एवं ई0एस0ए0एल0 100000–200000 हो तो ग्रेवल वेस की मोटाई 275 मिमी0 (प्रथम सतह : 100 मिमी0, द्वितीय सतह : 100 मिमी0 एवं तृतीय सतह : 75 मिमी0) होनी चाहिए तथा उसी के अनुरुप विस्तृत आगणन रिपोर्ट में मात्राओं का निर्धारण किया जाना चाहिए।

अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई0, कोटद्वार के स्टेज–।। के मोटर मार्गों से सम्बन्धित लेखा–अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि तालिका में उल्लिखित मोटर मार्गों में पेवमेंट डिजाईन कैटालॉग के आधार पर बिटुमिनस परत की मोटाई निर्धारित आई0आर0सी0 विशिष्टियों से अधिक मोटाई में प्रावधानित एवं बिछाई गई। कार्यालय द्वारा पेवमेंट की मोटाई 275 मिमी0 के सापेक्ष 300 मिमी0 (प्रथम सतह : 125 मिमी0, द्वितीय सतह : 100 मिमी0 एवं तृतीय सतह : 75 मिमी0) का प्रावधान कर मोटर मार्गों में प्रयुक्त किया गया। यहॉ तक कि जिन मार्गों में सी0बी0आर0 की श्रेणी टी–3 तथा सी0बी0आर0 60000–100000 था वहॉ पर तो मोटाई 300 मिमी0 ली गई तथा जहॉ पर सी0बी0आर0 की श्रेणी टी–4 तथा सी0बी0आर0 100000–200000 वहॉ पर 275 मिमी0 के स्थान पर 350 मिमी0 लिया गया, जो कि पूर्ण रुप से आई0आर0सी0 विशिष्टियॉ एस0पी0–72–2007 के विपरीत है। उल्लेखनीय है कि पेवमेंट की मोटाई सी0बी0आर0 एवं सम्भावित बाणिज्यिक वाहनों की संख्या के आधार पर डिजाइन किया जाता है, जिसमें पेवमेंट डिजाइन कैटालॉग के अनुसार सी0बी0आर0, एवं ई0एस0ए0एल0 को आधार मानकर पेवमेंट की मोटाई निर्धारित की जानी चाहिए थी। इसप्रकार, मोटर मार्गों में जी0एस0बी0 हेतु पेवमेंट की अधिक मोटाई लिए जाने तथा उसका उपयोग किए जाने के कारण ` 123.39 लाख का अपरिहार्य व्यय किया गया। मोटर मार्गों में **निर्धारित** मोटाई से अधिक मोटाई लिए जाने तथा इसके परिणामस्वरुप आधिक्य भुगतान का विवरण निम्नवत् हैः–

क्र0 सं0	मार्ग का नाम	मार्ग की लम्बाई (किमी0)	मार्ग की चौडाई (किमी0)	आधिक्य मोटाई (मिमी0)	मात्रा (क्यू0मी0) (3X4X5)	अतिरिक्त कर्व 10%	पासिंग स्थल (3X2.50 km x 5/10)	कुल मात्रा (क्यू0मी0) (6+7+8)	अनुबन्धित दर	राशि (9 x 10)
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**
1.	देवीखेत से डबोली	4.25	3.30	0.025	350.625	35.063	26.563	412.251	950.00	391638.45
2.	नालीखाल से भरपूर	24.00	3.30	0.025	1980.000	198.000	150.000	2328.000	1694.00	3943632.00
3.	रिंगालपानी से जसपुर	7.70	3.30	0.075	1905.750	190.575	144.375	2240.70	810.00	1814967.00
4.	विरमोली से सुराडी	18.79	3.30	0.025	1550.175	155.018	117.438	1822.631	755.00	1376086.41
5.	कण्डलसेरा से क्वारली तल्ली	12.25	3.30	0.075	3031.875	303.188	229.688	3564.751	1350.00	4812413.85
	योगः—									**12338737.72**

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर अधिशासी अभियंता ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर में बताया कि मोटर मार्गों में उच्च गुणवत्ता बनाए रखने एवं बारहमासी सडक होने के कारण ग्रेवल बेस की मोटाई अधिक रखी गई, ताकि मार्ग यातायात हेतु सुगम हो सके। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पेवमेंट डिजाइन कैटालॉग के अनुसार सी0बी0आर0, एवं ई0एस0ए0एल0 के आधार पर ही पेवमेंट की मोटाई निर्धारित की जानी चाहिए थी।

अतः आई0आर0सी0 विशिष्टियों के विपरीत पेवमेंट की अधिक मोटाई सम्पादित किए जाने के कारण ` 123.39 लाख के अपरिहार्य व्यय का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–2: अनुबन्ध के प्रावधान के अनुरुप विलम्ब हेतु निर्धारित परिनिर्धारित नुकसान की कटौती न किए जाने के कारण ठेकेदारों को ` 177.35 लाख का अदेय लाभ।

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के प्रस्तर 13.1(iii) के अनुसार पहाडी सडकों हेतु कार्य आदेश जारी करने की तारीख से 18 माह की अवधि के भीतर कार्य पूर्ण किया जाना चाहिए तथा यदि समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं किए जाते हैं तो प्रस्तर 13.1(v) में प्रावधानित किया गया है कि विलम्ब की दशा में ठेकेदार के विरुद्व अनुबन्ध के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। स्टैन्डर्ड बिडिंग डोकुमेन्ट के प्रस्तर 44.1 के अनुसार किसी भी अनुबन्ध हेतु समय सीमा का निर्धारण बहुत ही आवश्यक है और यदि ठेकेदार उक्त अवधि में कार्य करने में विफल होता है तो अनुबन्धित राशि के अधिकतम 10 *प्रतिशत* तक का परिनिर्धारित नुकसान (एल0डी0) कराधान या चार्ज करना चाहिए। यदि ठेकेदार निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत कार्य पूर्ण करने में विफल होता है तो उस अनुबन्ध में शस्ति लगाकर उसे निष्कासित किया जाना चाहिए एवं अवशेष कार्य को किसी अन्य एजेन्सी से करवाया जाना चाहिए।

अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई0, कोटद्वार के लेखा–अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि खण्ड के अन्तर्गत निर्मित 04 कार्यों जिनकी अनुबन्धित धनराशि ` 1773.54 लाख थी, कार्य समाप्ति हेतु निर्धारित समयसीमा के अन्दर ठेकेदारों द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किये गये। नियमानुसार उक्त कार्यों पर अधिकतम 10 *प्रतिशत* तक का परिनिर्धारित नुकसान ` 177.35 लाख की वसूली की जानी चाहिए थी, जबकि खण्ड द्वारा इसप्रकार की कोई कटौती नहीं की गयी। जॉच में यह भी पाया कि मोटर मार्गो में ठेकेदार द्वारा समयावृद्धि हेतु जो कारण बताया गया वह अधिकांशः मानसून तथा अत्यधिक ठण्ड से सम्बन्धित थी जबकि ठेकेदार को अनुबन्ध गठन के समय पूर्व से ही पहाडी भू–भाग की भौगोलिक स्थिति का ज्ञान था तथा इन्हीं पहलुओं के मद्देनजर योजना के अन्तर्गत पहाडी भू–भाग हेतु कार्यों को पूर्ण करने की समय–सीमा भी 18 माह निर्धारित की गई है। इसके बावजूद भौगोलिक परिस्थिति पर समयावृद्वि की मॉग करना एवं सक्षम प्राधिकारियों द्वारा उसकी स्वीकृति प्रदान किया जाना किसी भी रुप में न्यायोचित नहीं प्रतीत होता। अतः समयावृद्वि प्रदान करते समय इन पहलुओं को नजर अन्दाज कर कार्यालय द्वारा ठेकेदारों को ` 177.35 लाख का अदेय लाभ पहुॅचाया गया। कार्यों का विस्तृत विवरण निम्नवत् हैः–

(` लाख में)

क्र0 सं0	कार्यों के नाम	अनुबन्धित राशि	अनुबन्ध के अनुसार			विलम्ब	एल0डी0 की राशि
			प्रारम्भ की तिथि	समाप्ति की तिथि	वास्तविक समाप्ति की तिथि		

1.	देवीखेत से डबोली	178.09	28.05.2013	27.05.2014	30.04.2016	703 दिन	17.81
2.	कण्डलसेरा से क्वारली तल्ली	618.53	29.05.2013	28.08.2014	15.01.2015	142 दिन	61.85
3.	रिंगालपानी से गूम	500.74	28.05.2013	27.08.2014	31.03.2016	522 दिन	50.07
4.	विरमोली से सुराडी	476.18	05.02.2011	04.05.2012	15.02.2015	1015 दिन	47.62
योगः–		**1773.54**					**177.35**

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर अधिशासी अभियंता ने अपने उत्तर में बताया कि ठेकेदार द्वारा मानसून एवं दैवीय आपदा में हुए विलम्ब हेतु समयावृद्धि की मॉग की गई, जिसे परीक्षण के उपरान्त उच्चाधिकारियों द्वारा कार्यहित में स्वीकृत किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ठेकेदारों द्वारा प्रत्येक समयावृद्धि के प्रकरण में मानसून तथा अत्यधिक ठण्ड का ही उल्लेख किया जबकि ठेकेदार को अनुबन्ध गठन के समय पूर्व से ही पहाडी भू–भाग की भौगोलिक स्थिति का ज्ञान था तथा इन्हीं पहलुओं के मद्देनजर योजना के अन्तर्गत पहाडी भू–भाग हेतु कार्यों को पूर्ण करने की समय–सीमा भी 18 माह निर्धारित की गई है। इसके बावजूद भौगोलिक परिस्थिति पर समयावृद्धि की मॉग करना एवं सक्षम प्राधिकारियों द्वारा उसकी स्वीकृति प्रदान किया जाना किसी भी रुप में न्यायोचित प्रतीत नहीं होता।

अतः अनुबन्ध के प्रावधान के अनुरुप विलम्ब हेतु निर्धारित परिनिर्धारित नुकसान की कटौती न किए जाने के कारण ठेकेदारों को ` 177.35 लाख के अदेय लाभ का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–3 संशोधित दर पर रायल्टी की कटौती न किए जाने के कारण ₹ 7.07 लाख की राजस्व हानि।

शासनादेश संख्या 842/VII-1/2016/24-ख/ 2007 दिनॉक 19.05.2016 के अनुसार विहित प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने वाली बालू से भिन्न नदी तल में उपलब्ध साधारण बालू, मोरम, बजरी, बोल्डर एवं इसमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो, के लिए दिनॉक 19.05.2016 से ₹ 194.50 प्रति घनमी0 के स्थान पर ₹ 154. 00 प्रति घनमी0 कटौती दरें निर्धारित की गई थी।

अधिशासी अभियंता,सिंचाई खण्ड, पी0एम0जी0 एस0वाई, कोटद्वार के लेखा–अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि प्रखण्ड द्वारा लेखापरीक्षा अवधि में 08 निर्माण कार्यों पर खनिज पदार्थों जैसेः–पत्थर, बालू एवं मिट्टी जो ठेकेदारों द्वारा प्रयोग में लाए गये है, पर उपयोग की गई सामग्री पर रायल्टी की कटौती संशोधित दरों के आधार पर नहीं की गई। परिणामस्वरुप ₹ 7.07 लाख (**संलग्नक–1**) की रायल्टी की वसूली देयकों से निर्धारित दरों से कम दरों पर की गई जबकि रायल्टी की वसूली ठेकेदार द्वारा प्रत्येक देयक से उपयोग किए गये खनिज पदार्थों पर समय–समय पर हुए संशोधनों के आधार पर की जानी चाहिए थी। रायल्टी की कम वसूली किए जाने से न केवल ठेकेदार को अदेय लाभ पहुॅचाया गया अपितु राज्य सरकार को भी ₹ 7.07 लाख के राजस्व से बंचित किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर अधिशासी अभियंता ने अपने उत्तर में बताया कि रायल्टी की संशोधित दरें विलम्ब से प्राप्त होने के कारण पूर्व दर पर रायल्टी की कटौती की गई। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि रायल्टी की वसूली प्रत्येक देयक से उपयोग किए गये खनिज पदार्थों पर समय–समय पर हुए संशोधनों के आधार पर की जानी चाहिए थी।

अतः संशोधित दर पर रायल्टी की कटौती न किए जाने के कारण ₹ 7.07 लाख के राजस्व हानि का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

संलग्नक–1

क्र सं.	कार्य का नाम	रॉयल्टी विवरण के अनुसार प्रयुक्त मात्रा			निर्धारित दर	दरों में अन्तर	वसूली गई धनराशि (4 x 5)	वसूली जाने वाली धनराशि (4 x 6)	कम वसूल की गई धनराशि (9 - 8)
		बिल सं व तिथि	पत्थर	प्रदत्त दर					
			बालू						
			ग्रिट						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Dadamandi to Jameli	17, 31.03.2018	4710.40	45	154	109	211968.00	725401.60	513433.60
2.	Basera to Bunga	2, 2.01.2018	5.81	45	154	109	261.29	894.74	633.45
3.	Ringalpani Jaspur to Gweel gwardkot	06, 30.11.2017	628.48	143	154	11	89872.93	96785.92	6912.99
			73.57	143	154	11	10519.94	11329.78	809.84
			66.17	143	154	11	9462.31	10190.18	727.87
4.	Ringalpani Jaspur to Gweel Gwardkot	01, 13.11.2017	2432.94	143	154	11	347910.71	374672.76	26762.05
			211.48	143	154	11	30241.00	32567.92	2326.92
			1054.25	143	154	11	150757.18	162354.50	11597.32
5.	Ringalpani Jaspur to Gweel Gwardkot	01, 1.08.2017	1209.91	143	154	11	173016.84	186326.14	13309.30
			97.41	143	154	11	13929.40	15001.14	1071.74
			1401.05	143	154	11	200350.12	215761.70	15411.58
6.	Ringalpani Jaspur to Gweel Gwardkot	01, 28.02.2017	632.4	143	154	11	90433.20	97389.60	6956.40
			172.62	143	154	11	24684.66	26583.48	1898.82
			101.47	0	154	154	0	15626.38	15626.38
7.	Ringalpani Jaspur to Gweel Gwardkot	05, 30.01.2017	616.79	143	154	11	88201.18	94985.66	6784.48
			106.88	143	154	11	15283.41	16459.52	1176.11
			60.34	143	154	11	8627.91	9292.36	664.45
8.	Jakhnikhal-Amola to Dabad	03, 17.11.201	122.13	143	154	11	17464.59	18808.02	1343.43
			6.94	143	154	11	992.99	1068.76	75.77
9.	Jakhnikhal-Amola to Dabad	02, 28.02.2017	338.92	143	154	11	48466.00	52193.68	3727.68
			113.82	143	154	11	16275.70	17528.28	1252.58
			634.31	143	154	11	90706.57	97683.74	6977.17
			92.70	143	154	11	13256.10	14275.80	1019.70
10.	Timalsain Badiyar	06, 30.01.2017	524.38	143	154	11	74986.91	80754.52	5767.61
			289.34	143	154	11	41375.46	44558.36	3182.90
			424.06	143	154	11	60640.01	65305.24	4665.23
11.	Kotdwar to Haridwar	02, 25.01.2017	375.00	80	154	74	30000.00	57750.00	27750.00
			120.45	90	154	64	10840.00	18549.30	7709.30

			80.10	80	154	74	6408.00	12335.40	5927.40
12.	Banjadevi Rikhnikhal	04, 28.02.2017	526.16	143	154	11	75240.95	81028.64	5787.69
			23.36	143	154	11	3340.34	3597.44	257.10
13.	Banjadevi Rikhnikhal	03, 30.01.2017	336.06	143	154	11	48057.08	51753.24	3696.16
			3.68	143	154	11	526.17	566.72	40.55
14.	Kilbokhal to Takolikhal	07, 30.01.2017	156.21	143	154	11	22338.39	24056.34	1717.95
Total :									**707002.00**

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–4 अनुबन्ध की शर्त के विपरीत बीमा पॉलिसी हेतु कटौती न कर ठेकेदार को ` 69.94 लाख का अदेय लाभ।

अनुबन्ध की शर्तों (स्टैण्डर्ड बिडिंग डाक्यूमेंट के प्रस्तर 13.1) के अनुसार ठेकेदार कार्य प्रारम्भ करने से लेकर समापन तक काम के नुकसान या क्षति, ब्यक्तिगत चोटें और मशीनरी एवं उपकरण के लिए नियोक्ता तथा ठेकेदार के संयुक्त नाम से अपनी लागत पर बीमा कवर करेगा। यदि ठेकेदार बीमा पॉलिसी उपलब्ध कराने में विफल होता है तो ठेकेदार के देयकों से (i) अनुबन्धित धनराशि का 0.50 प्रतिशत कार्यों, प्लान्ट एवं सामग्री, (ii) अनुबन्धित धनराशि का 0.25 प्रतिशत उपकरण के नुकसान या क्षति एवं (iii) अनुबन्धित धनराशि का 0.25 प्रतिशत अन्य परिसम्पत्तियों हेतु कटौती की जानी चाहिए।

अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, पी0एम0जी0एस0 वाई0, कोटद्वार के चयनित कार्यों से सम्बन्धित लेखा– अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि कार्यालय द्वारा अनुबन्ध की शर्तों (स्टैण्डर्ड बिडिंग डाक्यूमेंट के प्रस्तर 13.1) के अनुसार ठेकेदार द्वारा न तो बीमा पॉलिसी उपलब्ध कराई गयी एवं न ही कार्यालय द्वारा अनुबन्ध के अनुरुप 01 प्रतिशत की धनराशि देयकों से कटौती की गई। लेखापरीक्षा जॉच हेतु चयनित 13 कार्यों (पूर्ण–11 एवं प्रगतिरत–02) की अनुबन्धित धनराशि ` 6994.12 लाख के सापेक्ष 01 प्रतिशत इंशोरेन्स की धनराशि ` 69.94 लाख की कटौती नहीं की गई, जिसका विवरण निम्नवत् है:–

क्र0 सं0	मोटर मार्ग का नाम	स्वीकृत राशि	अनुबन्धित राशि (₹ लाख)	बीमा कटौती योग्य राशि
1.	कन्डलसेरा से क्वारली तल्ली	565.37	618.53	618530.00
2.	नौडाखाल से मल्लाकोटा	262.77	219.94	219940.00
3.	नौगॉव से भौखण्डी	911.69	793.23	793230.00
4.	देवीखेत से डबोली	181.42	178.10	178100.00
5.	रिंगालपानी से गूम	500.78	500.74	500740.00
6.	डाडामण्डी द्वारीखाल रोड से बाली	89.90	85.30	85300.00
7.	देवाल से भेल्डा	167.51	123.69	123690.00
8.	कोडिया से किमसार	362.89	356.36	356360.00
9.	नालीखाल से भरपूर	1588.15	1513.58	1513580.00
10.	रिंगालपानी से जसपुर	784.69	1022.55	1022550.00
11.	जखणीखाल–अमोला से डाबरा	250.36	203.16	203160.00
12.	धारकोट से कल्वाडी	487.46	411.94	411940.00
13.	बंजादेवी से रिखणीखाल	887.78	967.00	967000.00

योगः—	**7141.67**	**6994.12**	**6994120.00**

इस प्रकार, ` 69.94 लाख की कटौती नहीं किए जाने से न केवल ठेकेदार को वित्तीय लाभ पहुॅचाया गया अपितु मोटर मार्गों में अनुबन्धों का अन्तिमीकरण तक काम के अलावा नुकसान का जोखिम बना रहा।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर अधिशासी अभियंता ने आपत्ति स्वीकारते हुए अपने उत्तर में बताया कि उच्चाधिकारियों से निर्देश प्राप्त कर यथोचित कार्रवाई की जाएगी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अनुबन्ध की शर्तों (स्टैण्डर्ड बिडिंग डाक्यूमेंट के प्रस्तर 13.1) के अनुसार ठेकेदार द्वारा बीमा पॉलिसी उपलब्ध न कराए जाने पर देयकों से 01 प्रतिशत की धनराशि की कटौती की जानी चाहिए थी।

अतः अनुबन्ध की शर्त के विपरीत बीमा पॉलिसी हेतु कटौती न कर ठेकेदार को ` 69.94 लाख के अदेय लाभ पहुॅचाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग–III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरणः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग–II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग–II 'ब' प्रस्तर संख्या
28/2011–12	1	1, 3 एवं 4
87/2012–13	1	1
88/2014–15	1 एवं 2	1 एवं 2
151/2015–16	1 एवं 2	1
118/2016–17	2	1 एवं 2

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
28/2011–12	भाग–II 'अ' प्रस्तर–1	कार्यालय द्वारा अद्यतन अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गई।	अद्यतन अनुपालन आख्या के अभाव में प्रस्तर यथावत रहेगा।	
	भाग–II 'ब' प्रस्तर–1	– तदैव –	– तदैव –	
	भाग–II 'ब' प्रस्तर–3	– तदैव –	– तदैव –	
	भाग–II 'ब' प्रस्तर–4	– तदैव –	– तदैव –	
87/2012–13	भाग–II 'अ' प्रस्तर–1	– तदैव –	– तदैव –	
	भाग–II 'ब' प्रस्तर–1	– तदैव –	– तदैव –	
88/2014–15	भाग–II 'अ' प्रस्तर–1	– तदैव –	– तदैव –	
	भाग–II 'अ' प्रस्तर–2	– तदैव –	– तदैव –	
	भाग–II 'ब' प्रस्तर–1	– तदैव –	– तदैव –	
	भाग–II 'ब' प्रस्तर–2	– तदैव –	– तदैव –	
151/2015–16	भाग–II 'अ' प्रस्तर–1	– तदैव –	– तदैव –	
	भाग–II 'अ' प्रस्तर–2	– तदैव –	– तदैव –	
	भाग–II 'ब' प्रस्तर–1	– तदैव –	– तदैव –	
118/2016–17	भाग–II 'अ' प्रस्तर–1	प्रस्तर को वर्तमान निरीक्षण रिपोर्ट में अद्यतन किया गया है।	अद्यतन किए जाने के कारण प्रस्तर को निरस्तारित किए जाने के संस्तुति की जाती है।	
	भाग–II 'अ' प्रस्तर–2	कार्यालय द्वारा अद्यतन अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गई।	अद्यतन अनुपालन आख्या के अभाव में प्रस्तर यथावत रहेगा।	
	भाग–II 'ब' प्रस्तर–1	– तदैव –	– तदैव –	
	भाग–II 'ब' प्रस्तर–2	– तदैव –	– तदैव –	

<u>भाग–IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

– शून्य –

भाग–V

1. कार्यालय महालेखाकार लेखापरीक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गए अभिलेख एवं सूचनाऐं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय **अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई0, कोटद्वार** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गये:–

   (i) माप पुस्तिकाऐं 90 / एल, 31 / एल, 01 / एल, 92 / एल, 06 / एस एवं 05 / एस

2. सतत् अनियमितताएः

   (i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया:–

क्र0 सं0	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
1.	श्री आर0सी0 गुप्ता	अधिशासी अभियंता	17.08.2015 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय **अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई0, कोटद्वार** को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप–महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.